

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1633 - दो/13

जिला - सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.4.14 समय दोपहर 12:00 बजे समय दोपहर 3.00 बजे शाम 5.00 बजे	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद जैन एवं आवेदक श्रीमती रीना पत्नि संतोष कुमार साहू निवासी भिलाई तहसील व जिला सागर म0 प्र0 को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत ।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद जैन एवं आवेदक श्रीमती रीना पत्नि संतोष कुमार साहू निवासी भिलाई तहसील व जिला सागर म0 प्र0 को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत ।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद जैन एवं आवेदक श्रीमती रीना पत्नि संतोष कुमार साहू निवासी भिलाई तहसील व जिला सागर म0 प्र0 को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>अतः म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p>	<p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>(अशोक शिवहरे) सदस्य</p>

राजस्थान अधिराज्य महानगर निकाय
का अधिनियम संख्या 1958

भाग - 1

अधिनियम संख्या 1958

प्रतिनिधि आदेशादिनांक 29-4-14 पारित द्वारा श्री श्रीकेश्वर
सदस्य राजस्व मण्डल मण्डल 7 वा विवरणकरणकुमांक निकाय 1633-दी/13
जिल्हा आदेशादिनांक 28-8-12 पारित द्वारा अर कनेक्टर जिला
सागर बुधरणकुमांक 35/क-6/11-12.

श्रीमति रोया पति सतीश कुमार साहू
निवासी निम्नार्ध कसाल व जिला
सागर मण्डल

--- आदेश

श्रीमत्सुन्दर व श्री केनाभ शौरिका
निवासी पुरव्याउटोरा सागर

--- जनादेश


(अधीनकारी कर्मचारी)
सदस्य